



Neutral Citation No.- 2026:AHC:13734

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-35488 वर्ष 2024

जानेंद्र

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: चंद्र कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री चंद्र कुमार सिंह, राज्य के राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने 2021 के मुकदमा अपराध संख्या-360, भ०द०वि० की धारा 302 और 307 भ०द०वि० और 27/30 शस्त्र अधिनियम, थाना-कविनगर, जिला: गाजियाबाद के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगी है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक को उस परिसर का गार्ड बताया जाता है, जहां उसने कथित तौर पर अंधाधुंध गोलीबारी की, दो व्यक्तियों को घायल कर दिया और 08/09.03.2021 की रात में एक व्यक्ति की हत्या कर दी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि अ०सा०-1 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने किसी को भी फायरिंग करते हुए नहीं देखा क्योंकि उस समय अंधेरा था। अ०सा०-2, अ०सा०-3 और अ०सा०-4 को प्रत्यक्षदर्शी बताया गया है, और उनमें से दो घायल व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान स्पष्ट रूप से कहा है कि आवेदक ने सभी घायल व्यक्तियों पर अंधाधुंध गोली चलाई, जिससे उनमें से एक की मौत हो गई, लेकिन अपनी जिरह के दौरान, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति को मृत व्यक्ति या घायल व्यक्तियों पर गोली चलाते नहीं देखा था। बल्कि, आवेदक को केवल इस तथ्य के ज्ञान के आधार पर नामांकित किया गया था कि वह एक लाइसेंस प्राप्त हथियार ले जा रहा था, इस तरह, वह ज़मानत का हकदार है।

6. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 09.03.2021 से जेल में बंद है, इस प्रकार, कैद की अवधि पांच साल से थोड़ी कम है। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. राज्य विधि अधिकारी ने ज़मानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों पर विवाद नहीं किया जा सकता है।

8. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 21.11.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, नौ गवाहों से पूछताछ की गई है और तीन और गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन की अनुमति है।

10. आवेदक- **ज्ञानेंद्र**, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।



(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

जनवरी 20, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)